प्रेस नोट दिनांक 20.09.2023

(1). आज दिनांक 20.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 20.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 60 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।

(i). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय तथा उमके हमराही आरक्षी दिनेश यादव द्वारा अभियुक्त रोशन पाल पुत्र देवी दयाल निवासी बोधन का पुरवा मजरा चांदी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरघुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी आशीष कुमार द्वारा अभियुक्त कृष्णचंद पुत्र किशोरीलाल निवासी चितरागोकुलपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 35 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राम बहादुर पुत्र स्व0 माधव प्रसाद निवासी ग्राम हटवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी नागेश कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 14 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा द्वारा अभियुक्त 1. गोलू तिवारी उर्फ अजय तिवारी पुत्र सुभाष तिवारी 2. निखिल उर्फ नितिन पुत्र राजेन्द्र द्विवेदी 3. राजकरन 4. शिवकरन पुत्रगण प्रेम सोनकर 5. छोटू 6. बड़ई पुत्रगण पुरी सोनकर 7. बऊवा सोनकर 8. राजकुमार पुत्रगण बड़ई सोनकर 9. अखिलेश सोनकर पुत्र बऊवा सोनकर निवासीगम लूप लाईन चौराहा कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री दीपेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त 1. गजेन्द्र 2. सुरेन्द्र पुत्रगण निर्भय निवासीगण औदहा 3. मनोज 4. राजू यादव पुत्रगण चुनवाद निवासीगण अगरहुण्डा 5. हरिपाल पुत्र जगतपाल निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री हारुन रशीद खां तथा उनकी टीम द्वारा मु0नं0 184/2017 धारा 03 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त वेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गड़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम:-</u>

1. प्रभारी सरैंया श्री हारुन रशीद खां
2. आरक्षी रविशंकर
3. आरक्षी दुर्गेश

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 15 घण्टे के अन्दर ट्रक्टर की ट्राली चोरी करने वाले अभियुक्त अजय मिश्रा पुत्र राजा भैया निवासी दुगवां थाना भरतकूप को चोरी की ट्राली के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 19.09.2023 समय 20.49 बजे को वादी श्री रमाकान्त पाण्डेय पुत्र राजनारायण पाण्डेय निवासी पुरवा तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनके ट्रक्टर की ट्राली किसी ने चोरी कर ली है उन्हे शक है कि धीरू यादव ने उनके ट्राली चोरी की है। इस सूचना पर थाना कोतावली कर्वी में मु0अ0सं0 576/2023 धारा 379, भादवि बनाम संदेही धीरू यादव पंजीकृत किया गया। चौकी प्रभारी सीतापुर को उक्त मुकदमें की विवेचना सुपुर्द की गयी। चौकी प्रभारी सीतापुर द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर आज दिनाँक 20.09.2023 को समय लगभग 11.30 बजे डामर का डम्प वाहद शिवरामपुर से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अजय मिश्रा उपरोक्त को चोरी की ट्रैक्टर की ट्राली के साथ गिरफ्तार किया गया । चोरी की ट्राली बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। इस प्रकार सूचना के 15 घण्टे में ट्रक्टर की ट्राली चोरी करने वाले अभियुक्त को ट्राली के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>बरामदगी-</u>

चोरी की ट्रक्टर की ट्राली

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम:-</u>

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्याम देव सिंह
2. आरक्षी अतुल कुमार परिहार
3. आरक्षी अभिषेक यादव